मैसर्स यू.के. एंटरप्राइजेज व अन्य

बनाम

आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क व अन्य

दिनांक 22 नवंबर, 2007

(अशोक भान और वी.एस. सिरपुरकर, न्यायाधिपति)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962; धारा 112, 114 ए और 125 ए।

अवमूल्यन - एकीकृत परिपथों का आयात-वास्तविक मूल्य पर आधारित सीमा शुल्क का अधिरोपण - शुल्क की अंतर राशि-मांग करना-जुर्माना और मोचन जुर्माना - अधिरोपण - अपील और क्रॉस अपील-न्यायाधिकरण ने दण्ड और जुर्माना बढ़ा दिया - अपील पर, विनिश्चित किया गयाः न्यायाधिकरण द्वारा बढ़े हुए जुर्माने को लागू करना विधि के स्पष्ट प्रावधानों के विरूद्ध था- अतः जुर्माना राशि को घटाकर इस अधिनियम की धारा 114 ए के प्रावधानों के अन्तर्गत शुल्क राशि कर दिया गया- प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियो के अन्तर्गत, न्यायाधिकरण के जुर्माना बढ़ाने के आदेश में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

अपीलकर्ता-निर्धारिती ने हांगकांग में एक कंपनी से एकीकृत परिपथ (आई.सी.) का आयात किया था। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा खेप की जांच करने पर पता चला कि एक विदेशी कंपनी द्वारा आईसी का निर्माण किया गया था। फर्म से मिली जानकारी के आधार पर, अधिकारीगण इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि माल की घोषित कीमत का अवमूल्यन किया गया। प्रश्नगत माल की वास्तविक कीमत को ध्यान में रखते हुए तथा विक्रेता के 10 प्रतिशत लाभ को जोडते हुए, 2.3 लाख (सी. आई. एफ.

गोवा) के घोषित मूल्य के मुकाबले अधिकारीगण ने माल का मूल्य 23. 4 लाख रुपये निर्धारित किया। तदनुसार, अधिकारियों ने शुल्क की अंतर राशि 4,91,000/- रूपए की मांग की और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 114 ए के तहत 50,000/-रूपए का जुर्माना फर्म पर तथा इसी अधिनियम की धारा 112 के तहत फर्म के मालिक पर 50,000/- रूपए का जुर्माना अधिरोपित किया। अधिनियम की धारा 125 के तहत 2,50,000/-रूपए का मोचन जुर्माना फर्म पर भी लगाया गया था। निर्धारिती और राजस्व विभाग दोनों ने न्यायाधिकरण के समक्ष अलग-अलग अपील दायर की। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण ने निर्धारिती द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया जबकि राजस्व विभाग द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और निर्धारिती पर जुर्माने की राशि को 10,00,000/-रूपए तक बढा दिया। हालांकि, फर्म पर लगाया गया जुर्माना निरस्त कर दिया गया और मोचन जुर्माना को भी बढ़ाकर 10,00,000/- रूपए कर दिया गया। अतः वर्तमान अपीलें प्रस्तुत की गई है।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 114 ए के तहत अधिकतम दंड जो हो सकता है वह मांग शुल्क के बराबर हो सकता है जोकि उस प्रकरण में 4,91,000/- रूपए था जबकि न्यायाधिकरण ने इसे बढ़ाकर 10,00,000/- रूपए कर दिया है और इस अधिनियम की धारा 125 के तहत राजस्व विभाग जो उसे उचित समझे जब्ती के बदले में वह जुर्माना लगा सकता परन्तु वह जब्त माल के बाजार मूल्य से अधिक नहीं हो सकता, आयात माल के संबंध में अधिरोपित शुल्क से कम नहीं। परन्तु हस्तगत प्रकरण में बिना जब्तशुदा माल के बजार मूल्य निर्धारित किए जुर्माना को 10,00,000/- रूपए तक बढ़ा दिया गया है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने विनिश्चित किया कि-

1. जुर्माने की राशि प्रभार्य शुल्क की राशि से अधिक नहीं हो सकती थी। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 114 ए के एक उपरी तौर पर अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जुर्माना देने का दायित्व शुल्क की राशि के बराबर हो सकता है और देय शुल्क से अधिक नहीं हो सकता है। अतः लगाया गया जुर्माना विधि के स्पष्ट प्रावधानों के खिलाफ था। इन परिस्थितियों में जुर्माने की राशि घटाकर 4,91,000/- रूपए कर दी जाती है। (पैरा 9)(442-डी, ई, एफ)

2. हालाँकि न्यायाधिकरण ने प्रश्नगत माल की उस दिन के बाजार मूल्य के निर्धारित किए बिना जब्ती के संबंध में जुर्माने की राशि को 10,00,000/- रूपए तक बढ़ा दिया थाय परन्तु प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थतियों में यह न्यायालय न्यायाधिकरण के जुर्माना बढाए जाने के आदेश की हद तक कोई हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों से यह स्पष्ट है कि माल का बाजार मूल्य 10,00,000/-रूपए से कम नहीं हो सकता। यह स्वीकृत है कि माल का मूल्य 23.4 लाख रुपये तय किया गया है, जिसमें विक्रेता का लाभ सम्मिलित है, जोकि 2.3 लाख रूपए (सी. आई. एफ. गोवा) से अधिक के घोषित मूल्य के विरूद्ध है। खरीद मूल्य को रूपए 23.4 लाख रूपए माना जाएगा जिसमें विक्रेता के लाभ का 10 प्रतिशत को कम किया जाएगा जिससे उक्त मूल्य 21,06,000/- रूपए होता है। इन परिस्थतियों में यह कहा नहीं जा सकता कि जुर्माना अधिरोपित किए जाने की दिनांक को माल का बाजार मूल्य उसके खरीद मूल्य से कम हो। यदि यह भी उपधारणा की जाए की अपीलार्थी द्वारा माल को नुकसान पर बेचा गया हो तो भी वह खरीद मूल्य से आधे से कम नहीं हो सकता। राजस्व विभाग अब जब्ती के संबंध में जुर्माना ओर दण्ड राशि के निर्धारण हेतु इस आदेश की शर्तो के अधीन अग्रसर होगा (पैरा 10 और 11)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 1389-1392/2002

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली की अपील सं. 39-41/2001-ए और सी/372/2001-ए में अंतिम आदेश दिनांकित 6.11.2001 से।

अपीलार्थी की ओर से एल. पी. अस्थाना और प्रवीण गौतम (प्रमोद बी. अग्रवाल के लिए)

उत्तरदाताओं की ओर से वी. शेखर, टी.वी. रत्नम और अभिज्ञा, प्रदीप के. दुबे (बी. कृष्ण प्रसाद)

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया-

अशोक भान, जे.

1. यह अपीले सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सोना (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (अब सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में जाना जाता है) (जो न्यायाधिकरण पढा जाए) की अपील संख्या-सी/39-41/2001-ए में पारित आदेश दिनांक 06 दिसंबर 2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है- अपीलार्थियों द्वारा दायर और सं. सं. 372/2001-राजस्व विभाग द्वारा दायर जिसमें ओर जिसके अन्तर्गत न्यायाधिकरण अपीलार्थीयों द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करते हुए राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया ओर सीमा शुल्क अधिनियम 1962(जो अधिनियम पढा जाए) की धारा 114-ए के अन्तर्गत सीमा शुल्क आयुक्त गोवा द्वारा अधिरोपित जुर्माना राशि 50,000/- रूपए को 10,00,000/- रूपए तक बढाया गया तथा इस अधिनियम की धारा 125 के अन्तर्गत मोचन जुर्माने को 2,50,000/- रूपए से 10,00,000/- रूपए बढाया गया है।

2. निर्धारिती-अपीलार्थियों ने एकीकृत परिपथ(आईसीएस) को होंगकोंग की फर्म से खेप का मूल्य $ 40,492.49 घोषित करते हुए आयात किया था। राजस्व खुफिया

निदेशालय (डी. आर. आई.) की गोवा स्थित प्राधिकरण द्वारा खेत की जांच की गई तथा जांच के उपरांत पता चला कि कार्टून जिनमें आई.सी. को पैक किया गया था उनमें कुछ स्टीकर व लेबल मिले जिनपर माल के निर्माता और वायु द्वारा परिवहन आदि के विवरण अंकित थे। जाँच के बाद, अधिकारियों ने पाया कि आई.सी. को मेसर्स फिलिप्स लिमिटेड, मेसर्स मोटोरोला (आई) लिमिटेड और मेसर्स एन.ई.सी. द्वारा निर्मित किया गया था। उन्होंने संबंधित निर्माताओं से आई.सी. की लागत के बारे में जानकारी मांगी। आईसी की सात किस्मों में से छह के निर्माता द्वारा अधिकारियों को उक्त जानकारी प्रदान की गई। उक्त जानकारी के आधार पर, अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि माल की घोषित कीमत का अवमूल्यन किया गया। अतः हांगकोंग में स्थित विक्रेता के लाभ में 10 प्रतिशत जोड़ने के बाद में, अधिकारियों ने 2.3 लाख रुपए (सी. आई. एफ. गोवा) के घोषित मूल्य की तुलना में माल का मूल्य 23.4 लाख रूपए तय किया। अधिकारियों द्वारा उक्त निर्धारित मूल्य पर, अंतर शुल्क 4,91,000/- रूपए की मांग की गई और अपीलार्थी द्वारा भूगतान किया गया।

3. मूल्यांकन तैयार करते समय, प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 114ए के तहत मूल रूप से एक फर्म पर 50,000/-रूपए का जुर्माना और अधिनियम की धारा 112 के तहत फर्म के मालिक पर 50,000/- रूपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया। अधिनियम की धारा 125 के तहत 2,50,000/- रूपए का मोचन जुर्माना भी फर्म पर लगाया गया था।

4. निर्धारिती के साथ-साथ राजस्व विभाग ने अलग-अलग अपील न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की। न्यायाधिकरण ने निर्धारिती द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और राजस्व द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और फर्म के मालिक पर जुर्माना राशि को 10,00,000/- रूपए तक बढ़ा दिया। फर्म पर लगाया गया जुर्माना

निरस्त कर दिया गया। जहाँ तक मोचन जुर्माने का संबंध है, इसे बढ़ाकर 10,00,000/- रूपए तक कर दिया गया था।

5. न्यायाधिकरण के आदेश से व्यथित होने के कारण निर्धारिती हमारे सामने अपील में प्रस्तुत हुआ।

6. श्री एल. पी. अस्थाना, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने ना तो माल के मूल्य जोकि अधिकारीयों ने 23.4 लाख तय किया था पर कोई आपत्ति की ना ही अंतर शुल्क की राशि पर आपत्ति की। साथ ही अपीलार्थियों की दोषसिद्धि पर भी विवाद नहीं किया। उनकी ओर से एकमात्र बिंदू उठाया गया जोकि दण्ड की राशि में वृद्धि तथा मोचन जुर्माने से संबंधित था।

7. इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 114ए और धारा 125 के अंतर्गत संबंधित प्रावधान का उल्लेख करना उचित होगा जो इस प्रकार है -

> "114ए. कुछ मामलों में कम उद्ग्रहण या उद्ग्रहण नहीं किए जाने के लिए शास्ति- जहाँ दुर्भिःसंधि या जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन के तथ्यों का छिपाने के कारण शुल्क उदग्रहित नहीं किया गया है या कम उदग्रहित किया गया है। अथवा ब्याज प्रभारित या संदत्त नहीं किया गया है अथवा भागत संदत्त किया गया है अथवा शुल्क या ब्याज का भूल से प्रतिदाय किया गया है वहां ऐसा व्यक्ति जो धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन अवधारित, यथास्थिति, शुल्क या ब्याज का संदेहा करने के लिए दाई है, इस प्रकार अवधारित शुल्क व ब्याज के बराबर शास्ति का संदाय करने के लिए भी दायी होगाः
>
> परन्तु यह धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन यथा अवधारित, यथास्थिति, ऐसे शुल्क व ब्याज का ओर धारा 28कख के अधीन

उसपर संदाय ब्याज का संदाय ऐसे शुल्क को अवधारित करने वाले समुचित अधिकारी के आदेश की संसूचना की तारिख दिन से 30 दिन के भीतर कर दिया जाता है, वह इस धारा के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा संदत्त किए जाने के लिए दायी शास्ति की रकम, इस प्रकार अवधारित, यथास्थिति, शुल्क या ब्याज के 25 प्रतिशत होगीः बशर्ते कि जहां, यथास्थिति, ऐसा शुल्क या ब्याज हो,

परन्तु यह और की पहले परन्तुक के अधीन घटाई गई शास्ति का फायदा इस शर्त के अध्याधीन उपलब्ध होगा कि इस प्रकार अवधारित शास्ति की रकम भी उस परन्तुक में निर्दिष्ट के 30 दिन के अवधी के भीतर संदत्त कर दी गई हैः

परन्तु यह भी की यह संदाय रूप में अवधारित शुल्क या ब्याज, यथास्थिति, आयुक्त (अपील), अपील अधीकृत या न्यायालय द्वारा घटा या बढा दिया जाता है वहां इस धारा के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, इस प्रकार घटाए या बढाए गए शुल्क या ब्याज को भी हिसाब में लिया जाएगाः

परन्तु यह भी ऐसे मामले में, जिसमें संदाय रूप में अवधारित शुल्क या ब्याज की, यथास्थिति, आयुक्त (अपील), अपील अधीकृत या न्यायालय द्वारा वृद्धि की जाती है, वह पहले परन्तु के अधीन कम की गई शास्ति का फायदा उस दशा में उपलब्ध होगा जब उस प्रकार बढाए गए शुल्क या ब्याज की रकम, धारा 28कख के अधीन उस पर संदाय ब्याज सहित, और शास्ति में परिमाणिक वृद्धि का 25 प्रतिशत

उस आदेश की, जिसके द्वारा शुल्क या ब्याज में ऐसी वृद्धि प्रभावी हुई, संसूचना के 30 दिन के भीतर संदत्त कर दिया गया हैः

परन्तु यह भी की जहां कोई शास्ति इस धारा के अधीन उद्ग्रहित की गई है वहां धारा 112 या 114 के अधीन कोई शास्ति उद्ग्रहित नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि-

(i) इस धारा के उपबंद ऐसे मामलों में लाघू होंगे जिनमे धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन शुल्क या ब्याज अवधारित करने वाला आदेश उन सूचनाओं से संबधित है, जो उस तारीख से पूर्व जारी की गई है, जिसको वित अधीनियम, 2000 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती हैः

(ii) पहले परंतुक या चौथे परंतुक ने निदृष्ट आदेश की संसूचना की तारीख से पूर्व केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में संदत्त कोई रकम ऐसे व्यक्ति में शोध्य कुल रकम में समायोजित की जाएगी।

125. अधिहरण के बदले में शास्ति का संदाय करने का विकल्प - (1) जब भी इस अधिनियम के अधीन किसी माल का अधीहरण प्राधिकृत किया जाता है, तब उसको न्यायनिर्णत करने वाला अधिकारी, किसी ऐसे माल की दशा में, जिनका आयात या निर्यात इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधी के अधीन प्रतिषद्ध है माल के स्वामी को या जहां ऐसा स्वामी ज्ञात नहीं है वहां उस व्यक्ति को जिसके कब्जे या अभिरक्षा से ऐसे माल को अभिगृहित किया गया है,

अधिहरण के बदले में ऐसे जुर्माने का संदाय करने का, जो उक्त अधिकारी ठीक समझे, विकल्प दे सकता है और किन्हीं अन्य माल की दशा में उसको ऐसा विकल्प देगाः

परन्तु धारा 115 की उपधारा (2) के परन्तुक के उपबंधो पर प्रभाव डाले बिना, अधिहरण किए गए माल की बाजार किमत में से आयातित माल की दशा में उनपर प्रभार्य शुल्क घटाकर जो रकम आए उससे जुर्माना अधिक नहीं होगा।

(2) जहाँ माल के अधिहरण के बदले उप-धारा (1) के अधीन कोई जुर्माना अधिरोपित किया जाता है वहां ऐसे माल का स्वामी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उसके अतिरिक्त, ऐसे माल की बाबत संदय किसी शुल्क और प्रभार के लिए दायी होगा।

8. अपीलार्थियों के विद्वान वकील के अनुसार, अधिनियम की धारा 114ए के तहत अधिकत्म शास्ति जो अधिरोपित की जा सकती है वह मांग शुल्क के बराबर होगी जोकि, इस प्रकरण में, 4,91,000/- रूपए है जबकि न्यायाधिकरण ने उसे बढाकर 10,00,000/- रूपए किया है। उनके द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 125 के तहत आयुक्त जब्त करने के बदले में जुर्माना लगा सकता है जैसा कि वह उचित समझता है। लेकिन यह जब्त किए गए माल के बाजार मूल्य से अधिक नहीं हो सकता था, आयातित माल के मामले में उस पर प्रभार्य शुल्क से कम की स्थिति में। उसके अनुसार उक्त धारा के तहत जुर्माना बढ़ाकर 10,00,000/- रुपये कर दिया गया है जो कि जब्त किए गए माल के बाजार मूल्य का पता लगाए बिना किया गया है।

9. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील के पहले प्रस्तुतिकरण में सार पाते हैं कि जुर्माने की राशि प्रभार्य शुल्क के बराबर राशि से अधिक नहीं हो सकती है। धारा 114ए के एक अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि शास्ति भरने का दायित्व शुल्क की राशि के बराबर हो सकता है और प्रभार्य शुल्क अधिक नहीं हो सकता है। अतः शास्ति जो अधिरोपित की गई वह विधी के स्पष्ट प्रावधानों के विरूद्ध थी। इन परिस्थितियों में हम धारा 114ए के तहत शास्ति की राशि को घटाकर 4,91,000/- रूपए करते है।

10. यद्यपि हम अपीलार्थियों के विद्वान वकील से सहमत हैं कि न्यायाधिकरण ने जब्त करने के बदले जुर्माने की राशि को 10,00,000/- रूपए तक बढ़ा दिया है जुर्माना अधिरोपित करने की दिनांक को प्रश्नगत माल की बाजार कीमत बिना निर्धारित किए, लेकिन, प्रकरण के तथ्यों में और परिस्थितियों में, हम न्यायाधिकर में आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं जहां तक उक्त जुर्माने में वृद्धि का संबंध है, क्योंकि हमारे सामने रखे गए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि माल का बाजार मूल्य 10,00,000/- रूपए से कम नहीं हो सकता था। यह स्वीकृत है कि माल का मूल्य 23.4 लाख रुपये तय किया गया है, जिसमें विक्रेता का लाभ सम्मिलित है, जोकि 2.3 लाख रूपए (सीआईएफ गोवा) से अधिक के घोषित मूल्य के विरूद्ध है। खरीद मूल्य को रूपए 23.4 लाख रूपए माना जाएगा जिसमें विक्रेता के लाभ का 10 प्रतिशत को कम किया जाएगा जिससे उक्त मूल्य करीब 21,06,000/- रूपए होता है। इन परिस्थतियों में यह कहा नहीं जा सकता कि माल का बाजार मूल्य ज्ञात या निर्धारित नहीं था। इसके विपरीत भी, यदि सामान्य रूप से देखा जाए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि माल का बाजार मूल्य, जुर्माना अधिरोपित करने की दिनांक को, उसके खरिद मूल्य से कम नहीं हो सकता। यदि यह भी उपधारणा की जाए की अपीलार्थी द्वारा माल को नुकसान पर बेचा गया हो तो भी वह खरीद मूल्य से आधे से कम नहीं हो सकता।

11. ऊपर बताए गए कारणों के आधार पर, उपरोक्त शर्तों के अधीन अपीलों का निस्तारण किया जाता है। विभाग अब इस आदेश के शर्तो के अधीन जब्ती के संबंध में जुर्माना और शास्ति की राशि की गणना में आगे बढ़ेगा।

एस.के.एस. अपीलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रविन्द्र सिंह यादव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।